अज अदालत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

प्रार्थी		अप्रार्थी
लतेश भाटी पुत्र गिरधारीसिंह जी जाति माली निवासी मंडोर मगरा पूंजला जोधपुर	बनाम	1.अशोक रेलवानी पुत्र आनन्द रेलवानी जाति सिंधी निवासी जोधपुर 2.राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 89/2023

–:आदेश:– दिनांक 02.01.2024

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगणों के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भूअभिलेख निरीक्षक शिवगंज, तहसील शिवगंज में स्थित है। मौजा बडगांव के खसरा नं0 334/940 रकबा 0.3399 हैक्टयर किस्म बरसाली 1 ए, खसरा नम्बर 334/10, खसरा नं0 334/11 कुल रकबा 1.6188 हेक्टेयर किस्म बरसाली 1 ए भूमि आई हुई स्थित हैं जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 का आधा–आधा हिस्सा है। जो कि राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है एवं इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 का उपरोक्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक ढंग से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त तीनों खसरा नं0 334/1/1/घ, 334/1/1/ख, 334/1/1/ग गत राजस्व नक्शें में एक दूसरे खसरा के समानांतर अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा की और लम्बाई में तरमीम किये हुए थे जबकि हाल ही में उक्त राजस्व रेकर्ड को DILRMP के तहत ऑनलाईन कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड करते समय राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारीयों की टंकण त्रुटि से उपरोक्त तीनों हाल खसरान को गलत रूप से एक दूसरे खसरा के आगे पीछे तरमीम कर दिये है जबकि उक्त राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन कम्प्यूटरीकृत करते समय गत राजस्व रेकर्ड व गत राजस्व नक्शे के अनुसार ही तरमीम किया जाना था। प्रमाण में गत खसरा नं0 334/1/1/घ, 334/1/1/ख, 334/1/1/ग के राजस्व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं हॉल खसरा नं0 334/940, 334/10, 334/11 के राजस्व नक्शा की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 का उपरोक्त कृषि भूमि पर पूर्व में राजस्व नक्शें में तरमीम खसरा नम्बरान के अनुसार ही अपने हिस्से बंट की भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा था। जिससे कर्मचारीयों व अधिकारीयों की उपरोक्त तरमीम टंकण त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक व न्यायसंगत है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड के नक्शे में सही सीमांकन नहीं होने से मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में न्यायहित में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी सं0 1 की और से दिनांक 29.09.2023 को जवाब पेश कर अवगत कराया है कि हाल राजस्व नक्शा में गत राजस्व नक्शें में दर्ज तरमीम अनुसार एक दूसरे खसरा के समानांतर अर्थात पूर्व से पश्चित दिशा की ओर लम्बाई में तरमीम को शुद्ध किया जाने हेतु निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों एवं मौका जांच अनुसार बताया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 334/940 रकबा 0.3399 हैक्टयर व खसरा नं0 334/10 रकबा 0.8094 हेक्टयर व खसरा नं0 334/11 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि आई हुई है। जिस पर दोनों खातेदारों की आधी आधी हिस्सा कृषि भूमि आई हुई है व इनका ही कब्जा है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की तरमीम नक्शा लटठा में की हुई है। व वक्त DILRMP के तहत नक्शा ऑनलाईन करने के समय तरमीम गलत कर दी गई है। जिसे तहसीलदार शिवगंज ने लटठे में हुई तरमीम अनुसार दुरूस्त किये जाने को उचित बताया है।

लगातार पेज–2

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्र0सं0 69 / 2023
लतेश भाटी बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

दिनांक 02.01.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता, अप्रार्थी अधिवक्ता एवं स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। अप्रार्थी सं0 1 ने प्रस्तावित राजस्व नक्शें अनुसार तरमीम को शुद्ध किये जाने हेतु सहमति दी व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया है। हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार **मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 334 / 940 रकबा 0.3399 हैक्टयर, खसरा नं0 334 / 10 रकबा 0.8094 हेक्टयर व खसरा नं0 334 / 11 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि** की तरमीम प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया ।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ. नरेश सोनी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)
शिवगंज

कमांक / कोर्ट / 2024 / 04
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 02.01.2024

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज
शिवगंज (सिरोही)